न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

श्री अलेश उपाध्याय एड. द्वारा पेश / 10.10.14
(हस्ताक्षर) सदस्य बोर्ड
राजस्व मण्डल म0प्र0

COURT FEE 20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

R-3298-III/14

उमाशंकर राव तनय स्व0 अम्बिका प्रसाद राव निवासी ग्राम अखड़ार तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 === आवेदक

बनाम

1- सन्तकुमार राव तनय शम्भूपति राव

2- शम्भूपति राव पिता स्व0 परसराम राव

दोनों निवासी गण ग्राम अखड़ार तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0

===== अनावेदकगण

709
10.10.14

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 23/09/14 को जो न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बान्धवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 44/ए-74/13-14 में पारित व प्रसारित किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0.

क्रमांक 3499
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ...
दिनांक 24.10.14
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य:-

भूमि खसरा क्रमांक 287,288,288/785 रकबा जिनके क्रमशः 0.99, 1.075 0.33 कुल किता- तीन कुल रकबा 3.00 ए0 स्थित ग्राम अखड़ार प0 ह0 29 आवेदक निगरानीकर्ता की पुस्तैनी भूमियां है। जिसके वह स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। जिनका नामान्तरण बिना किसी अधिकार के चोरी-चोरी अनावेदक गण/ गैरनिगरानीकर्ता गण ने अपने नाम करा लिया जिसके संबंध में सीमांकन एवं नक्शा तरमीम का प्रकरण तहसीलदार महोदय चंदिया वृत्त बिलासपुर जिला उमरिया के न्यायालय में अनावेदकगण प्रकरण दायर किए जिस प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा लिखित में आपत्ति सीमांकन एवं नक्शा तरमीम के प्रकरण में की। तथा उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा- 32

क्रमशः 2..//पर

(उमाशंकर राव)

R- 3798-III/14 उपस्थिया.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/5/16	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।	